चित्रकूट-पुलिस

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 29 लीटर कच्ची शराब बरामद की।

(i). उ0नि0 यूटी0 श्री अनुभव वर्मा थाना बहिलपुरवा तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त पप्पू पटेस पुत्र पुत्र मतगंजन प्रसाद निवासी खांच मजरा रुकमा बुजुर्ग थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री राजीव सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त रज्जू यादव पुत्र राजबहादुर निवासी कसहाई थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 14 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम प्रभारी निरीक्षक मानकिपुर श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 राजोल नागर मु0नं0 60/17 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी कामता पुत्र रामबालक निवासी इन्द्रनगर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध पर अंकुश लगाने हेतु FST/SST टीमों द्वारा विभिन्न बैरियर पर चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के क्रम में थाना बरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत बरगढ़ में पर चैकिंग डियूटी पर तैनात FST टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे रजि0 नं0 UP70 EC-0704 पर सवार अभियुक्त अखिल कुमार पाठक उर्फ सचिन पाठक पुत्र उमेशचन्द्र पाठक निवासी गडरा मजरा रेरा थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज को 01 अदद देशी पिस्टल 32 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद किये गये। अभियुक्त के कब्जे से अवैध पिस्टल एवं कारतूस बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 47/2024 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा बरामदशुदा मोटरसाइकिल को धारा 207 MV Act के तहत सीज किया गया।

अभियुक्त का विवरणः-

अखिल कुमार पाठक उर्फ सचिन पाठक पुत्र उमेशचन्द्र पाठक निवासी गडरा मजरा रेरा थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज

बरामदगीः-

01 दद देशी पिस्टल 32 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव थाना बरगढ़
2.आरक्षी रंजीत यादव
3.आरक्षी शिवम राजपूत

(10). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 09.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा

उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।